रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276605
CG-DL-E-29092026-276605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5021]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 5021]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

का.आ. 5228(अ).— जबकि केंद्रीय सरकार, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने हेतु परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्तियों को प्रत्यायोजित करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अब, इसलिए, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्देशित करती है कि वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के अधीन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियां, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग करने योग्य होंगी, जो इसके साथ निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होंगी।

अनुसूची

क्र.सं.	**शक्ति**	**विवरण**	**जिसे प्रत्यायोजित की गई**
1.	**वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के नियम 32(2) और 43(2) के तहत सुरक्षा जाँच और पीईएससी छूट**	1.1. संवेदनशील सामग्री (पैकेट न खोलना) के परीक्षण से छूट के संबंध में यूपीएससी/एसएससी/ एनटीए/ सीबीएसई से प्राप्त अनुरोध।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
		1.2. एनआईए/सीबीआई/फोरेंसिक विभागों जैसी एजेंसियों से मामले की सामग्री (प्रोपर्टीज) को खोलने और जाँच से छूट का अनुरोध। यह निषिद्ध वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
		1.3. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के संबंध में प्री-एम्बार्केशन चेकिंग/फ्रिस्किंग की विदेश मंत्रालय से प्राप्त छूट।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
		1.4. राजनयिक बैग की स्क्रीनिंग से विदेश मंत्रालय से प्राप्त छूट।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
		1.5. रक्षा/केंद्रीय सशस्त्र बलों की क्रिप्टो-सामग्री के पैकेट न खोलने के लिए प्राप्त अनुरोध।	संबंधित क्षेत्रीय निदेशक
2.	**वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के नियम 11 (2) एवं 13 और एईपी दिशानिर्देश, 2022 के 9.2.1 के तहत सुरक्षा मंजूरी**	2.1. उन मामलों में सुरक्षा मंजूरी जहाँ सीएसए से "कोई प्रतिकूल रिपोर्ट और कोई अतिरिक्त इनपुट नहीं" प्राप्त हुआ है।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
3.	**वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के नियम 21 के तहत एनएसजी द्वारा जाँच और कार्य**	3.1. एंटी-हाइजैकिंग आकस्मिकता योजना के संबंध में एनएसजी से प्राप्त सभी प्रशिक्षण कार्य जो वार्षिक कैलेंडर और एनएसजी द्वारा की जाने वाली जाँच में शामिल किए जाते हैं।	उप महानिदेशक (प्रचालन)
4.	**वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2023 के नियम 11(1) और 16(4) के तहत सुरक्षा जांच**	हवाईअड्डे की व्यापक सुरक्षा जांच अनुमोदन और/या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सीएएस) द्वारा स्वीकृत किसी भी अवसंरचना का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2023 के नियम11(1) और 16 (4) के संबंध में हवाईअ ड्डों पर अवसंरचनाओं के किसी भीआंशिक आशोधन/स्था नांतरण के संबंध में,	संबंधित क्षेत्रीय निदेशक

		निम्नलिखित मामलों में शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है: - **लैंडसाइड अवसंरचना** 4.1. सीसीटीवी के स्थानांतरण या परिवर्धन और नाका, अवरोध और बोलार्ड के स्थानांतरण के लिए लैंडसाइड पर आंशिक आशोधन। तथापि, यदि ऐसे उपकरणों की संख्या कम की जानी है, तो फाइल बीसीएएस मुख्यालय को भेजी जाएगी। **टर्मिनल भवन के भीतर की अवसंरचना** 4.2. टर्मिनल भवन के भीतर निम्नलिखित अवसंरचना का स्थानांतरण/आशोधन। 4.2.1 इन उपकरणों की विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण सीसीटीवी, एक्स-बीआईएस, डीएफएमडी, बॉडी स्कैनर, अलार्म सिस्टम का प्रतिस्थापन। 4.2.2 बिना किसी श्रमशक्ति निहितार्थ के मौजूदा पहुंच नियंत्रण द्वारों में यथास्थान आशोधन।	
		4.2.3. क्षेत्र या स्थान में परिवर्तन के बिना शौचालयों/विश्राम कक्षों का यथास्थान आशोधन। 4.2.4. दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन अस्थायी विज्ञापन अनुमतियाँ। 4.2.5. चेक-इन काउंटरों की संख्या में वृद्धि या कमी के बिना चेक-इन काउंटरों में संशोधन और आगमन हॉल के भीतर सामान कन्वेयर की समग्र संख्या में बदलाव किए बिना आशोधन। 4.2.6. डिजी यात्रा गेटों का यथास्थान आशोधन।	

		परिचालन/परिधि क्षेत्र 4.3. परिचालन / परिधि क्षेत्र में स्थानांतरण और आशोधन। 4.3.1. बिना किसी कार्मिक आवश्यकता के वाहन/पैदल यात्री द्वारों का यथास्थान आशोधन। 4.3.2. नई परिचालन आवश्यकता के मामले में दिशानिर्देशों की पूर्ति के अध्यधीन वॉचटावरों, सुरक्षा चौकियों / मोर्चों का स्थानांतरण। 4.3.3. केवल दिशानिर्देशों के अनुसार ही कूलिंग पिट्स का स्थानांतरण। 4.3.4. आवश्यकतानुसार सीसीटीवी का स्थान परिवर्तन या संख्या संवर्धन, हालांकि संख्या कम करने के मामले में फाइल बीसीएएस मुख्यालय को भेजी जाएगी। 4.3.5. दिशानिर्देशों के अनुसार परिधि और टर्मिनल भवन प्रकाश व्यवस्था में सुधार।	
5.	**वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के नियम 10, 11 और 13 के तहत, ई-बीसीएएस पर सुरक्षा कार्यक्रम**	ई-बीसीएएस पर प्रस्तुत संशोधन आवेदन जिसमें निम्नलिखित का अद्यतन किया जाना शामिल है:- • कार्यालय के पते में परिवर्तन, • समय निर्धारण, संपर्क, प्रमाणन आदि के लिए सीएसओ/एएससीओ/सुरक्षा समन्वयक का विवरण, • एयरलाइन परिसंचालन परमिट/परिसंचालन प्राधिकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र/उड़न योग्यता प्रमाणपत्र, • संगठनात्मक संरचना • सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा मंजूरी के बाद बीओडी के विवरण, स्टेशनों को शामिल करना और हटाना, • विमानों को शामिल करना और हटाना • समझौतों का विवरण	उप महानिदेशक (संचालन)

(1) प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024, वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 और बीसीएएस द्वारा जारी किए गए सभी लागू परिपत्रों, आदेशों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कड़े अनुसरण में किया जाएगा।

(2) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के संबंधित संयुक्त महानिदेशक नियमित रूप से इन प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए अनुमोदनों और छूटों में के कम से कम दस प्रतिशत (10%) की पुन: जाँच और प्रमाणन प्रदान करेंगे।

(3) अनुसूची के क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्यायोजित शक्तियों के संबंध में, किसी भी अतिरिक्त जानकारी के मामलों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के समक्ष रखा जाएगा।

(4) अनुसूची के क्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के संबंध में, सुरक्षा कार्यक्रम के लिए नए या नवीकरण संबंधी आवेदनों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी रहेगा।

[फा. सं. एवी-13024/1/2026-एएस-एमओसीए]

पुनीत कंसल, अपर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 14th September, 2026

S.O. 5228(E).— Whereas the Central Government considers it necessary and expedient to delegate certain powers presently exercised by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), in order to enhance operational efficiency with a view to promoting the ease of doing business;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), under the Aircraft (Security) Rules, 2023, as specified in column (2) and (3) of the Schedule appended hereto, shall also be exercisable by the officers specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule, subject to the conditions laid down herewith.

SCHEDULE

S. No.	Power	Details	Delegated to
1.	**Security Check And PESC Exemptions under Rule 32(2) & 43(2) Of Aircraft**	1.1. The request received from UPSC/SSC/NTA/ CBSE regarding exemption from examination of sensitive materials (not opening the packets).	Deputy Director General (Operations)
	(Security) Rules, 2023	1.2. The request for exemption from opening and examination of case properties from agencies like NIA/CBI/Forensic Departments. This will not be applicable to the prohibited items.	Deputy Director General (Operations)

		1.3. Exemption of pre-embarkation checking/ frisking in respect of foreign dignitaries received from MEA.	Deputy Director General (Operations)
		1.4. Waiver from screening of Diplomatic bags received from MEA.	Deputy Director General (Operations)
		1.5. The request received for not opening the packets of crypto-materials of Defense /Central Armed Forces.	Regional Director concerned
2.	**Security Clearance under Rule 11 (2) & 13 of Aircraft (Security) Rules, 2023 and 9.2.1 of AEP guidelines, 2022**	2.1. Security clearance in cases where" nothing adverse reports and no additional inputs" have been received from CSAs.	Deputy Director General (Operations)
3.	**Reconnaissance and Exercises of NSG under Rule 21 of Aircraft (Security), Rules, 2023**	3.1. All training exercises received from NSG in respect of Anti-Hijacking Contingency Plan which are included in annual calendar and reconnaissance exercises to be conducted by NSG.	Deputy Director General (Operations)
4.	**Security Vetting under Rule 11(1) and 16(4) of**	After obtaining comprehensive security vetting approval of airport and/or final approval of any	Regional Director concerned
	Aircraft (Security) Rules, 2023	infrastructure accorded by DG BCAS, any minor modifications/relocations of infrastructures at airports with respect to rule 11(1) and 16(4) of Aircraft (Security) Rules, 2023, the power is delegated in the following cases:— **Landside Infrastructure** 4.1. Landside minor modifications for relocation or addition of CCTVs and relocation of nakas, barriers & bollards. However, if the number of such equipment is to be reduced, the file shall be sent to BCAS HQ. **Infrastructure inside Terminal Building** 4.2. Relocation/modification of following Infrastructure inside Terminal Building. 4.2.1. Replacement of CCTV, X-BIS, DFMD, body scanners, alarm systems due to change in specification of these equipment. 4.2.2. In situ modification in the existing access control gates without any manpower implications.	
		4.2.3. In situ modification of toilets/rest rooms without change of the area or location. 4.2.4. Temporary advertising permissions subject to fulfilment of guidelines. 4.2.5. Modification of the Check-in counters without increase or reduction of the number of check-in counters and modification of baggage conveyor within arrival hall without changing the overall numbers. 4.2.6. In situ modification of the Digi Yatra gates.	

		Operational/Perimeter Area 4.3. Relocation and modification in the Operational/Perimeter Area. 4.3.1. In situ modification of vehicle/pedestrian gates without any manpower implication. 4.3.2. Relocation of watchtowers, Security posts/morchas in case of new operational requirement subject to fulfilment of guidelines. 4.3.3. Relocation of the cooling pits as per guidelines only. 4.3.4. Relocation or addition of CCTVs as per requirement, however in case of reduction the file shall be sent to BCAS HQ.	
		4.3.5. Improvement of the perimeter and terminal building illumination as per the guidelines.	
5.	**Security Programme on e-BCAS under Rule 10, 11 & 13 of Aircraft (Security) Rules, 2023**	5.1. Amendment application submitted on e-BCAS which includes updating of :— • change in the address of the office address, • details of CSO/ASCO/ Security coordinator for appointment, contact, certification etc., • Airline Operating Permit/Operating Authority/ Certificate of Registration/ Air Worthiness Certificate, • Security clearance and details of BoDs after security clearance, addition and deletion of the stations, • organisational setup, • addition and deletion of the aircraft and • details of agreements.	Deputy Director General (Operations)

(1) The delegated powers shall be exercised strictly in accordance with the provisions of the Bhartiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, the Aircraft (Security) Rules, 2023, and the applicable circulars, orders, and guidelines issued by BCAS.

(2) The concerned Joint Director General, Bureau of Civil Aviation Security shall cross-check and validate at least ten percent (10%) of the approvals and exemptions issued under these delegated powers on a regular basis.

(3) In respect of the power delegated as specified in Sr. No. 2 of the Schedule, in case of any additional inputs the matter would be put up before the Director General, Bureau of Civil Aviation Security.

(4) In respect of the power delegated as specified in Sr. No. 5 of the Schedule, new or renewal applications for security programme shall continue to be approved by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security.

[F. No. AV-13024/1/2026-AS-MoCA]

PUNEET KANSAL, Addl Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA